<u>**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन**</u>

<u>**जिला चित्तौडगढ**</u>

<u>**पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)**</u>

प्रकरण संख्या / 05 / 2023 प्रार्थना पत्र   दायर दिनांक 01.02.2023

उनवान

1. अशोक कुमार पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. उषा पुत्री रामकुमार जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. गीतादेवी पत्नी रामकुमार जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. गोपाल पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. मनोहर देवी पत्नी गोपीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
6. बिन्दु पुत्री गोपीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
7. पुष्पा पुत्री गोपीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
8. चांदबाई पत्नी माधुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
9. पुष्पेन्द्र पुत्र माधुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
10. भगवान लाल पुत्र माधुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
11. मंजुबाई पुत्री माधुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
12. रामचन्द्र पुत्र माधुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
13. लीलाबाई पुत्री माधुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
14. शान्तिलाल पुत्र माधुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौडगढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ़।

——अप्रार्थी

<u>— : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट0 : —</u>

निर्णय दिनांकः 23.01.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>**—:निर्णयः—**</u>

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मौजा कीरखेडा उर्फ भगवतनगर पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के हाल जमाबन्द सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 132 की आराजी संख्या 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474 कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 हैक्ट0 स्थित है जो हम प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। चिरकाल से हम प्रार्थीगण के द्वारा काश्त की जा रही है। उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने बैलगाडी लाने ले जाने, फसल लाने ले जाने, ट्रेक्टर लाने ले जाने का रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी संख्या 2467, 2468 के दक्षिणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:12:51 IST
Reason: SelfAttested

दिशा से सटी हुई बिलानाम सरकार आराजी संख्या 2466 के मध्य मे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा से होकर है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है। प्रमाणित जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है।

यह कि प्रार्थीगण की उपरांकित आराजीयात के दक्षिण दिशा की ओर आराजी संख्या 2466 बिलानाम सरकार में से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में अपने पूर्वजों के समय से रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। मगर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है। राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात को विकसित नहीं कर पा रहा है।

यह कि प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने गाडी, बैल, टेक्ट्रर, फसल लाने ले जाने के लिए प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात के दक्षिण दिशा में स्थित आराजी संख्या 2466 से होकर सरकारी रास्ते से आते जाते गाडी बैल फसल लाते ले जाते है प्रार्थीगण को आराजी संख्या 2466 के मध्य से दक्षिण से उत्तर दिशा लम्बा व पुरब से पश्चिम दिशा में 5 मीटर चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। नजरी नक्शें में लाल स्याही से वर्णित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने के लिये और अन्य कोई रास्ता नहीं है अतः उक्त रास्ता प्रार्थीगण के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण विधि अनुसार रास्ता भूमि का मुल्य अदा करने को तत्पर है।

यह कि दिनांक 02.01.2023 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को आराजीयात पर आने जाने के रास्ते को बन्द करने की धमकी दी व हल्का पटवारी से सम्पर्क किया पटवारी साहब ने न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2023 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

यह कि खातेदारी गोपीलाल पुत्र भवानीशंकर की मृत्यु करीब 6 वर्ष पूर्व हो गई जिनके विधिक उत्तराधिकारी वादी संख्या 5, 6, 7 है।

अन्त में प्रार्थना की कि– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 132 की आराजीयात में आने जाने गाडी, बैल, फसल, मवेशी, लाने ले जाने के लिए 5 मीटर चौडा रास्ता आराजी संख्या 2466 बिलानाम सरकार के मध्य से दक्षिणी से उत्तर दिशा में प्रार्थीगण की आराजीयात तक लम्बा रास्ता प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावे। प्रार्थीगण विधि अनुसार रास्ता भूमि का शुल्क अदा करने को तत्पर है।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कपासन से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।

2. प्रकरण में प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार कपासन द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया।

3. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि के अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

– नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:12:51 IST
Reason: SelfAttested

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

– नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

– पर्चा मौका दिनांक 08.01.2024 संलग्न है।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आ0नं0 2466 रकबा 0.19 हैक्ट0 की पूर्व दिशा में प्रस्तावित 14 × 14 = 56 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर 287555 प्रति हैक्टयर से राशि 1610 रूपये जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 3220 अक्षरे तीन हजार दो सौ बीस रूपये बनते है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा कीरखेडा उर्फ भगवतनगर पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474 कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 हैक्ट0 है। प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने, हेतु प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी संख्या 2467, 2468 के दक्षिणी दिशा से सटी हुई बिलानाम सरकारी भूमि आ0स0 2466 में से होकर रास्ता चाह रहे है। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार कपासन द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम पड़त 2 दर्ज है। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से 30 फीट तक रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कीरखेडा उर्फ भगवतनगर पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474 कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 हैक्ट0 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 2466 रकबा 0.19 हैक्ट0 की पूर्वी दिशा से है। जिसका प्रस्तावित रकबा 0.0056 हैक्ट है0 है का राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 08.01.2024 संलग्न है का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते मे आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 287555 रूपये प्रति हैक्ट0 के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0056 हैक्ट की कुल मालियत 1610 रूपये का दुगुना 3220 रूपये अक्षरे तीन हजार दो सौ बीस रूपये राशि प्रार्थीगण से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवायी जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार कपासन को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:12:51 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन